

यदि किसी भी कारण पति पत्नी के बीच तलाक होता है तो दोनों को तलाक । कोर्ट के द्वारा मिलेगा ।

1. 21 वर्ष के कम लडका । पिता के पास रहेगा ।
2. 21 वर्ष के कम कुंवारी लडकी । माँ के पास रहेगी ।

पत्नी के अवैध प्रेम संबध के कारण तलाक

1. यदि पत्नी के । अवैध प्रेम संबधों के कारण । पति पत्नी मे तलाक होता है । तो पत्नी के उपर 21 वर्ष के कम कुंवारी लडकी को । रखने का विस्वास नही किया जायेगा ।
2. 21 वर्ष के कम कुंवारी लडकी पिता के पास रहेगी । य सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रहेगी ।
3. यदि 21 वर्ष के कम कुंवारी लडकी । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रहती है । तो माँ को । 1 लाख रु दन्ड के रूप मे । भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
4. यदि 21 वर्ष के कम कुंवारी लडकी । पिता के पास रहती है । । तो माँ को । 1 लाख रु दन्ड के रूप मे । पिता के पास जमा कराना होगा ।
5. पी कार्ड धारक ऐसी नारी । शादी के बाद ।, पर पुरुष से प्यार करने वाली को ।
6. पी कार्ड मे अंकित । सबूत के आधार पर । समाज मे । अनैतिकता । पति के साथ विस्वास घात । व बच्चों के लिए गैर जिम्मेदार । घर संसार मे कलह । सम्भावित हत्यायें । सम्भावित आत्महत्यायों का । दोसी पाए जाने पर ।
7. ऐसी अविस्वासनीय नारी को । कोर्ट द्वारा । 2 वर्ष के लिए जेल भेजा जायेगा ।
8. नारी का पी कार्ड । व अन्य कार्ड । पुलिस के पास जमा हो जायेगें ।
9. और पति पत्नी के बीच कोर्ट द्वारा । तलाक हो जायेगा ।
10. और पति दूसरी शादी कर सकता है ।
11. नारी को 2 वर्ष बाद जेल से वापस आने पर । पुलिस के पास जमा । पी कार्ड । व अन्य कार्ड । नारी को वापस मिल जायेगें ।
12. और वापस सरकारी सुविधायें मिलेंगी । और नारी नई जिन्दगी शुरू कर सकती है ।
13. य पति पत्नी दोनों । आपस मे समझौता करके । अपने बच्चो के साथ । नई जिन्दगी की शुरूवात कर सकते है ।

पति के अवैध प्रेम संबध के कारण तलाक

1. यदि पति के अवैध प्रेम संबधों के कारण । पति पत्नी मे तलाक होता है । तो पति के उपर 21 वर्ष के कम लडके को । रखने का विस्वास नही किया जायेगा ।
2. 21 वर्ष के कम लडका माँ के पास रहेगा । य सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रहेगा ।

3. यदि 21 वर्ष के कम लडका । सरकारी बाल संरक्षण गृह में रहता है । तो पिता को । 1 लाख रू दण्ड के रूप में । भारत सरकार में जमा कराना होगा ।
4. यदि 21 वर्ष के कम लडका । माँ के पास रहता है । । तो पिता को । 1 लाख रू दण्ड के रूप में । माँ के पास जमा कराना होगा ।
5. पी कार्ड धारक ऐसे पुरुष । शादी के बाद । पर से नारी से । प्यार करने वाले को ।
6. पी कार्ड में अंकित । सबूत के आधार पर । समाज में । अनैतिकता । पति के साथ विस्वास घात । व बच्चों के लिए गैर जिम्मेदार । घर संसार में कलह । सम्भावित हत्यायें । सम्भावित आत्महत्यायों का । दोसी पाए जाने पर ।
7. ऐसी अविस्वासनीय पुरुष को । कोर्ट द्वारा । 2 वर्ष के लिए जेल भेजा जायेगा ।
8. पुरुष का पी कार्ड । व अन्य कार्ड । पुलिस के पास जमा हो जायेंगे ।
9. और पति पत्नी के बीच कोर्ट द्वारा । तलाक हो जायेगा ।
10. और पत्नी दूसरी शादी कर सकती है ।
11. पुरुष को 2 वर्ष बाद जेल से वापस आने पर । पुलिस के पास जमा । पी कार्ड । व अन्य कार्ड । नारी को वापस मिल जायेंगे ।
12. और वापस सरकारी सुविधायें मिलेंगी । और नारी नई जिन्दगी शुरू कर सकती है ।
13. य पति पत्नी दोनों । आपस में समझौता करके । अपने बच्चों के साथ । नई जिन्दगी की शुरुवात कर सकते हैं ।

गैर समझी में तलाक

1. यदि गैर समझी में । पति पत्नी के बीच तलाक होता है । तो दोनों को तलाक । कोर्ट के द्वारा मिलेगा ।
2. दोनों पति पत्नी किसी भी कार्ड धारक । पति पत्नी दोनों का । बाहरी प्रेम प्रसंग न होने पर ।
3. सिर्फ गैर समझी के कारण ।
4. य परिवारिक कलह के कारण ।
5. आपस में सामांजस्य न बिठा पाने के कारण ।
6. य दोनों की विचारधारा अलग अलग होने के कारण ।
7. य अन्य किसी कारण से ।
8. गैर समझी में पति पत्नी दोनों । परिवार । समाज । और बच्चों भविष्य की चिन्ता किए बगैर । दोनों एक दूसरे से तलाक लेना चाहते हैं ।
9. तो दोनों को तलाक कोर्ट के द्वारा मिलेगा ।
10. 21 वर्ष के कम लडका । पिता के पास रहेगा ।

11. 21 वर्ष के कम कुँवारी लडकी । माँ के पास रहेगी ।
12. यदि 21 वर्ष के कम लडके को पिता । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रखना चाहता है । तो पिता को 1 लाख रू । दण्ड के रूप मे भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
13. यदि 21 वर्ष के कम कुँवारी लडकी को माँ । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रखना चाहती है । तो माँ को 1 लाख रू । दण्ड के रूप मे भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
14. यदि पति पत्नी दोनो । बच्चों को । सरकारी बाल संरक्षण ग्रह मे रखना चाहतें हैं । तब पति पत्नी दोनो को । 1 1 लाख रू दण्ड के रूप मे । भारत सरकार मे जमा कराना होगा ।
15. दोनो पति पत्नी पी य अन्य कार्ड मे । धन उपलब्ध न होने पर । 1 वर्ष के अन्दर दण्ड रू सरकार मे जमा कराना होगा ।
16. और बच्चों की जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी ।
17. और दोनो अलग अलग जिन्दगी जी सकते हैं ।

बच्चों के रिस्तेदार

1. बच्चों को चाहें तो रिस्तेदार ले सकते हैं ।
2. भारत सरकार रिस्तेदारों को बच्चों का की खर्चा नही देगी ।
3. बच्चों के 21 वर्ष पूरे होने पर । सारी सरकारी सुविधायें मिलेगीं ।
4. दोनो पति पत्नी के कार्डों मे धन । पूर्ववत रहेगा ।
5. दोनो पति पत्नी कार्डों मे वाहन पूर्ववत नियमित रहेगें ।

जय विश्व अग्रणी भारत की